

सेवा में,

सचिव (गृह), सचिवालय,
झारखण्ड राज्य सरकार,
रांची,

विषय: पुलिस शिकायतों का अग्रेषण।


महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि झारखण्ड पुलिस के खिलाफ निम्नलिखित शिकायत प्राप्त हुई है तथा इस शिकायत पर उचित व आवश्यक कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा किया जाना अपेक्षित है। चूंकि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" व "लोक व्यवस्था" राज्य सरकार के विषय हैं अतः कथित शिकायत को आवश्यक कार्यवाही हेतु आपके पास भेजा जा रहा है। कृपया की गई कार्यवाही से प्रार्थी व गृह मंत्रालय को अवगत कराएं।

क्रम सं.	शिकायतकर्ता का नाम एवं पता: श्री/श्रीमती.....	शिकायत पत्र की तारीख:	डायरी सं.
1.	विकास साह पिता देवेन्द्र साह, ग्राम व पोस्ट- शाहरग्राम, थाना-महेशपुर, जिला- पाकुड़, झारखण्ड, पिन कोड-816106	01.04.2022	2380901
2.	डॉ रणधीर कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो, कार्यालय: प्लॉट नं. 44, ग्राउंड फ्लोर, पाकेट बी/10 सैक्टर-13 द्वारका, नई दिल्ली-110075।	09.06.2022	4051/एलसी/2022
3.	वर्षा प्रसाद पुत्री शशी भूषण प्रसाद, पुरूलिया रोड, बिहाईन्ड तनवीर पेट्रोल पंप, रांची झारखण्ड-834001।	31.05.2022	4590/एलसी/2022

संलग्न: उपरोक्त शिकायत पत्र।

भवदीय,


(राकेश कुमार सिन्हा)

अनुभाग अधिकारी (वि.ए.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

उपरोक्त शिकायतकर्ता:- आपको सूचित किया जाता है कि आपका शिकायत पत्र झारखण्ड राज्य सरकार के गृह विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है आगे की कार्यवाही हेतु झारखण्ड राज्य सरकार से संपर्क करें।